[illegible] पूर्ण है।

3. कोर्ट टिकट पूर्ण है।
4. दर्ज योग्य है।

आदेशार्थ। [signature]

वादीनी रेवन्ती की ओर से वकील श्री पवन सिंघल द्वारा यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53 व 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जो दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादीगण जरिये नॉटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 26·03·25 को पेश हो।

[signature]

सहायक कलेक्टर (SDO), बाड़मेर

19·02·25 पत्रावली आज प्रार्थना पत्र पर तलब की गई। अधिवक्ता वादीनी एवं स्वयं वादीनी उपस्थित। वादीनी के द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते विड्रो करने [illegible] का पेश कर

रेवन्ती

T.D. by [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.02.25 09:56:09 IST
Reason: SelfAttested

निवेदन किया है कि वादीनी का प्रतिवादी अतिन से समाज के मौजिज लोगों व पंचों की उपस्थिति में आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है व वादीनी को पैतृक भूमि में हिस्सा देने का वचन दिया है. यदि प्रतिवादी, वादीनी को उसके हिस्से की भूमि देने से इन्कार करता है तो उसको पुनः अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए वाद पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए, उक्त वाद को विड्रो किया जावे।

अतः वादीनी का वाद, उसको पुनः वाद पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उक्त वाद जरिये विड्रो खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल गुजार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.02.25 09:56:09 IST
Reason: SelfAttested

/02/25

उपखण्ड अधिकारी (SDO), नागौर